BILL NO. 09 OF 2015

THE DELHI SCHOOL (VERIFICATION OF ACCOUNTS AND REFUND OF EXCESS FEE) BILL, 2015

A

BILL

to provide for the verification of accounts of the school and refund of excess fee charged from the student by school in the National Capital Territory of Delhi and matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Sixty- sixth year of the republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi School (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "committee" means the committee constituted under section 3 for verification of accounts of school;

(b) "fee" means any amount, by whatever name called, collected directly or indirectly by a school for admission and during the course of study;

(c) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "school" means a private unaided recognised school;

(2) The words and expressions used in this Act but not defined in this Act and defined in the Delhi School Education Act, 1973, unless the context otherwise require, shall have the same meaning as defined in the said Act. (18 of 1973)

Constitution of accounts and fee verification committee.

3. (1) The Government shall constitute a committee for the purpose of verification of the accounts of school in accordance with the provisions of this Act.

(2) The committee shall consist of the following members nominated by the Government, namely:—

(a) a retired High Court Judge or a retired District Judge having an experience of at least of five years as a District Judge or a retired officer not below the rank of Principal Secretary to the Government of NCT of Delhi - Chairperson;
(b) a Chartered Accountant – member;
(c) a retired civil engineer, not below the rank of executive engineer from Public Works Department of the Government- member,
(d) an eminent person having expertise in the field of education- member;
(e) Additional Director (Education)- Member- Secretary.

(3) The term of office of the Chairperson and the member shall be for a period of

three years from the date of his nomination and in the case of vacancy arising earlier, for any reason, such vacancy shall be filled for the remainder of the term.

(4) The salary and other allowances payable to, and the other terms and conditions of the service of, the Chairperson and member shall be such as may be prescribed.

(5) The Government shall provide the committee with such officers and the employees, including chartered accountants, as may be necessary for the efficient performance of the function of the committee under this Act.

(6)All matters shall be decided by the committee in the manner as may be prescribed .

(7) No act or proceeding of the committee shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy in, or any defect in, the constitution of the committee.

Removal of Chairperson and Member of the committee.

4. (1) The Government may, by order, remove from office, the Chairperson or any member, if the Chairperson or the member, as the case may be,-

(a) has been adjudged an insolvent; or
(b) has been convicted of an offence, if in the opinion of Government, involving an act of corruption or moral turpitude; or
(c) has been physically or mentally incapable of acting as a Chairperson or member, as the case may be; or
(d) has acquired such financial or other interests as is likely to prejudicially affect his functions as a Chairperson or member as the case may be:

Provided that no person shall be removed under this sub-section until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The Government may suspend the Chairperson or member, as the case may be, from discharging his function under this Act pending any hearing under sub-section (1).

Power and functions of the Committee.

5. (1) Subject to provisions of this Act, the committee shall have power to,—

(i) verify the financial returns of school by ascertaining if there is any violation of provisions relating to the utilization of school fund under Delhi School Education Act 1973 and Rules made thereunder or any other misuse of fund as may be prescribed. (18 of 1973)
(ii) direct refund or any other application of such excess money or fee collected;
(iii) hear complaint or take suo-moto action regarding violation of provisions relating to school fund of the Delhi School Education Act, 1973 and this Act;

(2) The committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its function, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act, have all the power of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matter, namely:— (5 of 1908)
(i) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
(ii) the discovery and production of any document;
(iii) the receipt of evidence on affidavits;
(iv) the issuing of any commission for the examination of witness.

Verification of accounts.

6. (1) Every school shall submit duly audited financial return and other return and document along with the proposed fee structure for the next academic year to the committee in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The committee shall, after verification of return and documents of school in accordance with the provisions of the Delhi School Education Act, 1973 and rules made there under, if satisfied that the school has violated any provision thereof, by order, direct such school to refund excess money or fee collected or apply the excess money in such manner, as may be prescribed: (18 of 1973)

Provided that the committee, before passing any such order, shall give a reasonable opportunity of being heard to such school.

(3) The committee may verify the accounts on its own or may cause to be verified by any chartered accountant or a firm of chartered accountants engaged by the Director. ,

Provided that such chartered accountant shall be paid such remuneration by the Government as may be prescribed;

Provided further that the payment to the chartered accountant shall be recovered from such school.

(4) The order passed by the committee under sub-section (2) shall be final and binding on school.

(5) If the committee directs any school to refund the excess fee, it will also direct the school to refix its fees reasonably for the ensuing session and if school again fails to fix fee appropriately as per recommendations of the committee within the prescribed time limit, the committee may direct Director to fix the fees of the school.

Complaints before Committee.

7. (1) Any complaint relating to utilization of school fund or non refund of excess fee in terms of the order issued under sub-section (2) of section 6, may be made by parents of at least twenty students or one fifth of the total strength of students in such school, whichever is less, before the committee in such manner as may be prescribed. (18 of 1973)

(2) The committee shall, after according reasonable opportunity of being heard to such school, pass such order as it may deem fit including direction to the revenue officer of the concerned revenue district to recover such excess fee as arrears of land revenue and refund such fee to the parent or guardian of student.

(3) (i) If any Chartered Accountant or firm of Chartered Accountants who have been engaged for verification of accounts and who in the opinion of the Committee, have wrongly verified the accounts of the school, that Chartered Accountant or firm of Chartered Accountants shall be liable to a fine up to maximum of ten times the financial implication of such wrong verification.
Provided that the Committee shall not impose this fine without giving any opportunity of being heard.
(ii) For wrong verification of accounts, the Chartered Accountant or firm of Chartered Accountants shall be liable to punishment prescribed under any other law for such professional or any other misconduct. .

Right to information.

8. The audited financial return and other returns and documents of the school shall be placed on the public portal of the website of the Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi in the manner as prescribed. (22 of 2005)

Proceedings before committee to be judicial proceedings.

9. All proceedings before the committee shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the committee shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. (2 of 1974)

Assistance to the committee.

10. Deputy Director of Education of the district concerned or any other equivalent officer or any such person authorized by the committee shall, if directed by the committee, inspect any record, accounts, register or other document belonging to such school or of the management, in so far as any such record, accounts, register or other document relates to such school and seize any such record, accounts, register or other document.

Offence and Penalty.

11. Whoever contravenes the provisions of section 6, in addition to the liability of recovery under sub-section(2) of section 7, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.

Offence by Managing Committee.

12 (1) Where an offence against any of the provisions of this Act have been committed by a Managing Committee, every person who at the time the offence was committed, was in charge of or was responsible to the Managing Committee for the conduct of the business of the management, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any such offence has been committed by a Managing Committee and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any chairperson, manager, secretary or other officer or servant of the management, such chairp16ersons, manager, secretary or other officer or servant shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Cognizance of offence.

13. The offences under this Act shall be non-cognizable and bailable and no court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of an officer not below the rank of such officer as the Government may authorize in this behalf.

Compounding of offence.

14.(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under section 11 may be compounded by such officer not below the rank of Director as may be specially authorised by the Government in this behalf, either before or after the institution of the prosecution, on payment for credit to the Government of such sum as such officer or body may impose: (2 of 1974)

Provided that such sum shall not, in any case, be less than fifty thousand rupees and, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this Act for the offence to so compounded:

Provided further that in the event of charging of excess fee or utilization of school fund in violation of DSEAR Act and Rules by the school, as may be determined by the Committee, the amount of compounding fee shall not be less than double the amount of refund directed under sub-section (3) of section 6 or fifty thousand rupees, whichever is higher.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person who commits the same or similar offence within a period of three years from the date on which the first offence committed by him was compounded.

Explanation-For the purposes of this sub-section, any second or subsequent offence committed after the expiry of a period of three years from the date on which the offence was previously compounded, shall be deemed to be a first offence.

(3) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

Operation of other laws

15. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties

16. If any difficulty arises as to the first constitution of the committee after the date of commencement of this Act or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by notification, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to them to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such notification shall be issued after the expiry of three years from the date of commencement of this Act.

Power to make rules.

17. (1) The Government may make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as possible after it is made, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in any such rule, or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Hon’ble High Court of Delhi in the matter of Delhi Abhibhavak Mahasangh and Ors vs GNCT of Delhi & Ors in CWP No. 7777/2009 and other connected matters vide its judgement dated 12.08.2011 has recommended that this Government should consider to constitute a Regulatory Body for scrutiny of accounts and records of the private unaided recognised schools.

To strengthen the education system in private unaided recognized schools, effective redressal of complaints of parents regarding exorbitant fee or unjustified fee hike made by private unaided recognized schools are required.

In the proposed Bill, the provisions have been made to empower the Government to constitute a Committee for the purpose of verification of accounts of the school, direct the refund of the excess fee charged by the school and hear complaints or take suo-motu action regarding violations of the provisions of Delhi School Education Act, 1973 in respect of maintenance of school fund.

Hence this Bill.

(Manish Sisodia)
Minister of Education

Dated:

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill empowered the Government to constitute a Committee for verification of accounts of the private unaided recognised schools in Delhi. The Committee shall be provided office space by the Government in existing office building and total recurring annual expenditure on account of salaries and allowances of the Chairperson, members, officers and employees of the Committee shall be approximately rupees two crores and fifty lakhs only per annum.

The expenditure shall be debited on the consolidated fund of the Capital and no additional financial assistance will be required from the Central Government to meet the expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 17 of the Bill empowers the Government to make rules for the carrying out all or any of the purposes of the Bill. The rules made by the Government are required to be laid, as soon as they are made, before the Legislative Assembly of Delhi.

The matters in respect of which rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

		विधेयक सं०९वर्ष 2015
	दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015	
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विद्यालय के लेखों की जांच और विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से वसूली गई अधिक फीस की वापसी तथा इससे संबंधित मामलों एवं उससे जुड़े हुए मामलों हेतु विधेयक	
	भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में दिल्ली विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :–	
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ	1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा। (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा। (3) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होगा।	
परिभाषाएं	2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, (क) ''समिति'' का अर्थ है वह समिति जिसका गठन विद्यालय के लेखों के सत्यापन के लिए धारा 3 के अंतर्गत किया गया हो, (ख) ''फीस'' का अर्थ है कोई भी वह राशि , जो दाखिले के लिए और पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान किसी भी रूप में, विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ली जाती हो, (ग) ''सरकार'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (घ) ''विद्यालय'' का अर्थ है एक निजी गैर सहायता प्राप्त (अनऐडिड) मान्यता प्राप्त विद्यालय, (2) इस अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द एवं अभिव्यक्तियां, परंतु जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं तथा जिन्हें दिल्ली विद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित किया गया है, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, का कथित अधिनियम में परिभाषित के समान ही अर्थ रहेगा।	(1973 का 18)
लेखों एवं फीस जांच समिति का गठन।	3. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के लेखों की जांच के उद्देश्य हेतु समिति का गठन करेगी। (2) समिति सरकार द्वारा मनोनीत निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करेगी, नामतः– (क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश अथवा सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, जिन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम पांच वर्षों का कार्य अनुभव हो या कोई सेवानिवृत्त अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	

	सरकार में प्रमुख सचिव के पद से नीचे का ना हो – अध्यक्ष, (ख) सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) – सदस्य, (ग) एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर, जो सरकारी लोक निर्माण विभाग में कम से कम अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हों – सदस्य, (घ) एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो – सदस्य, (ङ.) अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) – सदस्य – सचिव । (3) अध्यक्ष और सदस्य की कार्यकाल अवधि उनके मनोनीत करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक होगी और यदि इस अवधि से पहले कोई रिक्ति होती है, किसी भी कारण से, तो उस रिक्ति को शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा। (4) अध्यक्ष एवं सदस्य को मिलने वाला वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें निर्दिष्टानुसार होंगी। (5) सरकार सनदी लेखाकार सहित ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समिति का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अंतर्गत समिति के कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक भूमिका अदा करेगी। (6) समिति सभी मामलों पर निर्णय एक प्रक्रिया के तहत करेगी जिसे निर्धारित किया जाएगा। (7) समिति का कोई भी कार्य या कार्रवाई समिति के गठन में किसी रिक्ति की मौजूदगी या किसी कमी के कारण अमान्य नहीं होगी।	
समिति के अध्यक्ष और सदस्य को हटाना।	4 (1) सरकार, आदेश के द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती हैं, यदि अध्यक्ष या सदस्य निम्न मामले में दोषी पाए जाएं, – (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या (ख) सरकार के विचार में, भ्रष्टाचार या नैतिक भ्रष्टता सहित किसी दोष में अपराधी घोषित किया गया हो; या (ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो, जैसा भी मामला हो; या (घ) कोई वित्तीय या अन्य हितों को अर्जित किया हो, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कार्यों को हानिकार रूप से प्रभावित करता हो, जैसा भी मामला होः बशर्ते, किसी भी व्यक्ति को इस उप–धारा के अंतर्गत तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसकी सुनवाई का यथोचित अवसर नहीं मिल गया हो। (2) सरकार अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, को उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी लंबित सुनवाई के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत उसके कार्यों से उसे पदच्युत करते हुए निलंबित कर सकती है।	

समिति की शक्तियां एवं कार्य	5. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, समिति को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा— (i) विद्यालय की वित्तीय लेखे की जांच द्वारा सत्यापन करना यदि दिल्ली विद्यालय अधिनियम 1973 और इसके आधार पर निर्मित नियमों के अंतर्गत विद्यालय निधि के उपयोग से संबंधित प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है अथवा निधि का कोई अन्य दुरुपयोग जिसका वर्णन किया गया हो। (ii) इस प्रकार जमा किए गए अतिरिक्त पैसे या शुल्क की सीधी वापसी; (iii) दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के विद्यालय निधि से संबंधित और इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के विषय में शिकायत सुनना अथवा स्वतः कार्रवाई करना; (2) समिति के पास अपने कार्य करने से संबंधित उठने वाले सभी मुद्दों में अपनी प्रक्रिया के नियमन के अधिकार होंगे तथा इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में किसी जांच के उद्देश्य हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक नागरिक अदालत की सारी शक्तियां होंगी, यथा; (i) किसी भी साक्षी को बुलाना, उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ के अधीन उससे पूछताछ करना; (ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उसे पेश करने का अधिकार; (iii) शपथपत्रों पर प्रमाणों की प्राप्ति; (iv) साक्षियों की जांच—पड़ताल के लिए किसी आयोग का जारी करना।	(1973 का 18) (1908 का 5)
लेखे का सत्यापन	6. (1) प्रत्येक विद्यालय विधिवत रूप लेखा—परीक्षा किए हुए अपने वित्तीय एवं अन्य लाभों और अन्य दस्तावेज आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना सहित उस रूप में समिति को सुपुर्द करेगा, जैसा निर्धारित किया गया हो। (2) दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों और उसके आधार पर बनाए गए नियमों के अनुरूप विद्यालय के दस्तावेजों और लाभार्जन से संबंधित प्रपत्रों की पड़ताल के पश्चात् समिति को यदि इस बात की संतुष्टि होती है कि विद्यालय ने किसी तत्सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, तो वह विद्यालय को इस प्रकार जमा किए गए अतिरिक्त पैसे या शुल्क को वापस करने या निर्धारित रूप में उपयोग करने के लिए आदेश दे सकती है। बशर्ते कि समिति इस प्रकार का आदेश जारी करने से पहले ऐसे विद्यालय को अपनी बात रखने का उचित अवसर दें। (3) समिति अपने आप या किसी सनदी लेखाकार अथवा सी.ए. की संस्था द्वारा विद्यालय के लेखों की जांच करवा सकती है जिसे निदेशक द्वारा नियुक्त किया हो। बशर्ते कि ऐसे सनदी लेखाकार को सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाए; बशर्ते कि इस पारिश्रमिक की वसूली ऐसे विद्यालय से की जाए। (4) उप—धारा (2) के तहत समिति द्वारा जारी आदेश अंतिम और विद्यालय पर पर पूर्ण रूप से लागू होगा। (5) यदि समिति ने किसी विद्यालय को अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए निर्देश दिया हो, वह उस विद्यालय को आगामी सत्र के लिए अपने शुल्क को समुचित रूप से पुनर्निर्धारित करने का निर्देश देगी। यदि विद्यालय ने समिति की	(1973 का 18)

	सिफ़ारिशों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उचित शुल्क निर्धारित नहीं किया, तो समिति निदेशक को विद्यालय का शुल्क निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।	
समिति के समक्ष की जानेवाली शिकायतें	7. (1) धारा 6 की उप–धारा (2) के तहत जारी आदेश के अंतर्गत विद्यालय की निधि के उपयोग से अथवा अतिरिक्त शुल्क की गैर–वापसी से सम्बन्धित कोई भी शिकायत कम से कम बीस विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा तत्सम्बन्धी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों में से पांचवे हिस्से द्वारा, जो भी कम हो, समिति से निर्दिष्ट तरीके के अनुसार की जा सकती है। (2) समिति ऐसे विद्यालय को समुचित अवसर के अनुसार अपनी बात रखने के पश्चात भू–राजस्व के रूप में अतिरिक्त शुल्क की वापसी का आदेश जारी कर करेगी, ऐसे आदेश में सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र के राजस्व अधिकारी को दिये गए निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार वसूल किए गए शुल्क की वापसी माता–पिता अथवा अभिभावक को किए जाने के आदेश भी जारी होंगे। (3) (i) यदि लेखा के सत्यापन के लिए नियुक्त सनदी लेखाकार अथवा सनदी लेखाकारों की फर्म ने समिति की राय में विद्यालय के लेखा रिकॉर्डों का गलत सत्यापन किया हो, तो वह सनदी लेखाकार अथवा सनदी लेखाकारों की फर्म ऐसे गलत सत्यापन के लिए वित्तीय निहितार्थ के अधिकतम दस गुना तक जुर्माने के लिए जिम्मेदारी होगी। बशर्ते कि समिति सुनवाई का मौका दिए बिना इस जुर्माने को नहीं लगाएगी। (ii) लेखों के गलत सत्यापन के लिए, सनदी लेखाकार अथवा सनदी लेखाकारों की फर्म, किसी अन्य कानून के अंतर्गत उल्लेखित ऐसे पेशेवर या किसी अन्य दुराचार हेतु सजा के लिए उत्तरदायी होगी।	(1973 का 18)
सूचना का अधिकार	8. विद्यालय के लेखा–परीक्षा किए गए लाभार्जन के और अन्य दस्तावेज शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की वेबसाइट के सार्वजनिक पोर्टल में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार प्रदर्शित किए जाएंगे।	(2005 का 22)
समिति के समक्ष होने वाली कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी	9. समिति के सामने होने वाली हर प्रकार की कार्यवाही को भारतीय दंड विधान की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा और समिति को आपराधिक कार्यवाही के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के उद्देश्यों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।	1974 का 2
समिति को सहायता	10. संबंधित जिले का शिक्षा उपनिदेशक या अन्य कोई भी समकक्ष अधिकारी या समिति द्वारा अधिकृत कोई भी ऐसा व्यक्ति, यदि समिति द्वारा निर्देशित है, ऐसे किसी भी विद्यालय या प्रबंधन से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड, लेखा, रजिस्टर या अन्य किसी भी दस्तावेज या ऐसे किसी भी विद्यालय से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और ऐसे किसी भी रिकॉर्ड, लेखा रजिस्टर या अन्य किसी दस्तावेज को जब्त कर सकता है	
अपराध और दंड	11. जो भी धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, धारा 7 की उप–धारा के अंतर्गत बाध्यता के अतिरिक्त वह अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड अथवा पचास हजार रूपए के अर्थदंड, जो अधिकतम पांच लाख रूपए तक हो सकता है, अथवा दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है।	

प्रबंधन समिति के द्वारा अपराध	12 (1) जहां पर भी प्रबंधन समिति द्वारा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के खिलाफ कोई भी अपराध किया जाएगा, हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रभारी होगा या वह प्रबंधन के कार्य के आचरण के लिए प्रबंधन समिति के लिए उत्तरदायी था, उसे उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और उस पर तदनुसार ही कार्यवाही की जाएगी और दंड दिया जाएगाः बशर्ते इस उपधारा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि यह उसकी जानकारी के बिना हुआ है या उसने ऐसे किसी भी अपराध से बचने के लिए हर संभव कदम उठाएं हैं। (2) उपधारा (1) में ऐसा कुछ भी सम्मिलित नहीं है जहां ऐसा कोई अपराध एक प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि इस अपराध को या तो किसी अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी या प्रबंधन के किसी मातहत की अनुमति के द्वारा या उनके द्वारा लापरवाही के कारण किया गया है तो ऐसा अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव या अन्य कर्मचारी या मातहत उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंड दिया जाएगा।	
अपराध की जानकारी	13. इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर–संज्ञेय और जमानत योग्य होंगे और ऐसे अधिकारी जो सरकार की ओर से इसके लिए अधिकृत हों, की श्रेणी से कम के अधिकारी न हों, की शिकायत को छोड़कर, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।	
अपराध का संयोजन	14.(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दी गई किसी भी व्यवस्था के होते हुए भी, धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को ऐसे अधिकारी जो निदेशक की श्रेणी से कम न हो, द्वारा, जो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, अभियोजन प्रारंभ करने से पहले अथवा पश्चात, सरकार के क्रेडिट हेतु ऐसी राशि जो उक्त अधिकारी अथवा निकाय द्वारा लागू की गई है, के भुगतान पर संयोजित किया जा सकता है; बशर्ते कि ऐसी राशि किसी भी मामले में पचास हजार रूपए से कम नहीं होगी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे संयोजित अपराध हेतु लागू की जा सकने वाली अर्थदंड राशि से अधिक नहीं हो सकती है; आगे बताया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की स्थिति में या विद्यालय द्वारा डीएसईएआर अधिनियम की विद्यालय निधि के प्रयोग के उल्लंघन में संयुक्त शुल्क की राशि उस राशि से दोगुनी से कम नहीं होनी चाहिए, जो धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत वापस हुई है या पचास हजार रूपए होनी चाहिए, जो भी अधिक हो। (2) उप–धारा (1) में दी गई व्यवस्था ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो उसके द्वारा प्रथम बार अपराध किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर समान अथवा समरूप अपराध करता है। व्याख्या– इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ, पूर्व संयोजित अपराध की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किया गया दूसरा अथवा अनुवर्ती अपराध, प्रथम अपराध माना जाएगा। (3) जहां कोई अपराध उप–धारा (1) के अधीन संयोजित किया गया है, ऐसे संयोजित अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही अथवा भावी कार्यवाही, जैसी भी स्थिति है, नहीं की जाएगी तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, तत्काल रिहा किया जाएगा।"	1974 का 2
अन्य कानूनों का कार्यान्वयन	15. इस अधिनियम में प्रदत्त के अलावा यदि कुछ और कहा गया है, तो इस अधिनियम के प्रावधान समय पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, उसके खिलाफ नहीं।	

मुश्किलें हटाने का अधिकार	16. यदि समिति के पहले गठन में कोई भी मुश्किल आती है (इस नियम के शुरू होने के बाद या इसके प्रावधानों को प्रभाव में लाने के लिए) तो सरकार, अधिसूचना देकर ऐसा प्रावधान कर सकती है जो इस नियम से असंगत न हों, जो उन्हें प्रतीत हों कि वह मुश्किल को हटाने के लिए आवश्यक हैं: बशर्ते कि ऐसी कोई भी अधिसूचना इस नियम के शुरू होने के तीन साल बाद जारी नहीं की जाएगी।	
नियम बनाने का अधिकार	17. (1) सरकार इस नियम के सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानून बना सकती है। (2) इस नियम के अंतर्गत बनाया गए प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद–दिल्ली की विधानसभा के समक्ष–जब वह सत्र में है –30 दिनों के लिए–जो एक या दो या दो से अधिक सत्रों में हो सकती है, और यदि सत्र के खत्म होने से पहले–जिसमें इसका निर्धारण हुआ, या इसके बाद वाले सत्र में, विधान सभा इस बात के लिए सहमति देती है कि इस कानून में संशोधन किया जाए, या तय करती है कि नियम न बने, तो नियम सिर्फ परिवर्तित या संशोधित रूप में प्रभाव में आएगा या नहीं आएगा, जैसा भी मामला है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन या नियम का रद्द होना, इस नियम के अंतर्गत पूर्व में हुई किसी भी बात की वैद्यता के प्रति बिना भेद–भाव के होगा।	

लक्ष्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिल्ली अभिभावक महासंघ एवं अन्य बनाम रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में सीडब्ल्यूपी सं. 7777/2009 और अन्य जुड़े मामलों में दिनांकित 12.08.2011 के इसके फैसले द्वारा सिफारिश की है कि इस सरकार को निजी सहायतारहित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के खातों और रिकॉर्डों की समीक्षा करने के लिए एक विनियामक संस्था के गठन का विचार करना चाहिए।

निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना, निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस या फीस में अनुचित वृद्धि के संबंध में अभिभावकों की शिकायत का प्रभावी निवारण करना।

प्रस्तावित विधेयक में, सरकार को विद्यालयों के खातों के सत्यापन के उद्देश्य, विद्यालय द्वारा अधिक ली गई फीस की वापसी के निर्देश और शिकायतों को सुनने या विद्यालय फंड के रखरखाव के विषय में दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में स्वयं:प्रेरित कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

(मनीष सिसोदिया)
शिक्षा मंत्री

दिनांकः

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक द्वारा सरकार को दिल्ली में निजी सहायतारहित मान्यताप्राप्त विद्यालयों के खातों का सत्यापन करने के लिए एक समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया है। समिति को सरकार द्वारा विद्यमान कार्यालय भवन के कार्यालय में लिए जगह दी जाएगी और समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों के निमित्त आवर्ती वार्षिक व्यय लगभग केवल दो करोड़ पचास लाख प्रतिवर्ष होगा।

इस व्यय को पूंजी की समेकित निधि में से घटाया जाएगा और केंद्रीय सरकार से इस व्यय को वहन करने के लिए किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक की धारा 17, सरकार को विधेयक के सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को उनके बनाए जाने के तुरंत बाद विधानसभा के समक्ष पेश किया जाना होता है।

मामले जिनके संदर्भ में नियम बनाए जा सकते हैं वे सामान्यतः प्रक्रिया और प्रशासनिक विवरणों के मामले होते हैं और उनको विधेयक में समावेश करना व्यावहारिक नहीं है। वैद्यानिक शाक्तियों का प्रत्यायोजन, अतएव साधारण प्रकृति का है।